933

in this regard and by when a final decision in the matter will be arrived at; and

(c) what are Government's present requirements of pipes and what will be the working capacity of the proposed plant?]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री नाल बहादुर): (क) से (ग) पाइप लाइन बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। ग्रभी तक कोई ग्रंतिम निर्णय नहीं किया गया है। ग्रासाम के तेल—साधनों का उपयोग गुरू करने की जो योजना स्वीकार की गयी है, उसके ग्रनुसार ग्रनुमान हैं कि ग्रप्रैल, १६६० तक तेल की २०० मील ग्रौर ग्रप्रैल, १६६१ तक ५२० मील लम्बी पाइप लाइन की ग्रावश्यकता होगी।

†[THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI LAL BAHADUR):
(a) to (c). The question of setting up a pipe-line fabricating plant is under consideration of the Government. No final decision has been taken. According to the scheme approved for the exploitation of oil resources of Assam, the oil pipe-line requirements are estimated as 200 miles by April 1960, and 520 miles by April 1961.]

हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स, पिम्परी के वैज्ञानिकों भ्रौर तकनीकी कर्मचारियों भ्रादि की तरफ से प्रधान मंत्री को प्रार्थना-पत्र

प्र७. श्री नवार्बोसह चौहान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स, पिम्परी के पचास से ऊपर वैज्ञानिकों व तकनीकी कर्मचारियों श्रीर लगभग श्राट सौ कार्यकर्त्ताश्रों ने श्रधान मंत्री को पिम्परी में काम करने वाले वैज्ञानिक कर्मचारियों की श्रदल-बदल के बारे में एक प्रार्थना पत्र दिया है; यदि ऐसा है, तो इस प्रार्थनापत्र का श्राधार

क्या है ग्रीर सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†[Representation made to the Prime Minister by the Scientific and Tech-NICAL PERSONNEL ETC. OF THE HINDUS-TAN ANTIBIOTICS, PIMPRI

57. Shri NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state whether it is a fact that over fifty scientists and technical personnel and about eight hundred workers of the Hindustan Antibiotics, Pimpri, have sent a representation to the Prime Minister, regarding the changes in the scientific personnel at Pimpri? If so, what is the basis of the representation and what decision Government have taken in the matter?]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर): जी हा, प्रार्थना पत्र हिन्दु-स्तान एन्टीबायोटिक्स (प्रा०) लिमिटेड के निदेशक मंडल के उस निर्णय के विरुद्ध दिया गया है, जिसके द्वारा एक अफसर बम्बई सरकार को लौटा दिया गया है। इस अफसर की सेवाएं एक निर्धारित अविष के लिए प्राप्त की गयी थीं। वह अविष समाप्त होने पर ही उसे लौटाया गया है। सरकार ने मामले की छानबीन की श्रौर यह पाया कि निदेशक मंडल के निर्णय में दखल देने की अावश्यकता नहीं हैं।

\*(THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI LAL BAHADUR): Yes, Sir. The representation related to the decision of the Board of Directors of the Hindustan Antibiotics (Private) Limited to place, the services of an officer, back at the disposal of the Government of Bombay who had lent his services to the Company for a fixed period. This was done on the expiry of the period. Government have looked into the matter and found that there was no need to interfere with the decision of the Board.]